अपील सूचना अधिकार संख्या 51/2021 (GCMS 2021/78)(RTI 212308988101113) जरनैल सिंह पुत्र लाभ सिंह जाति जटसिख निवासी 2–जी–5, सद्भावना नगर, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पदमपुर

22.11.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री जनरैल सिंह उपस्थित नही है। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 15.04.2021 से तहसीलदार, पदमपुर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है और न ही कोई जवाब पेश दिया है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, पदमपुर पर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाने एवं अतिशीघ्र सूचना उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 09.06.2021 को पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 15.04.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थीः

> दिनांक 05.04.1972 रजिस्ट्री रिछपाल सिंह पुत्र श्री हरबंश सिंह चक 2 पी एस तहसील पदमपुर से तबादला 6.05 बीघा, मुरब्बा नंम्बर 46 तथा लाभ सिंह पुत्र भगवान सिंह चक 2 पीएस तहसील पदमपुर से तबादला 6.05 बीघा, मुरब्बा नम्बर 19 का किया गया है।
>
> पुनः 29.12.2001 को हल्का [illegible] चक 1 पीएस तहसील पदमपुर द्वारा रिपोर्ट मुताबिक आदेश एवं बैयनामा [illegible]सार नामान्तरकरण दर्ज कर वास्ते जांच एवं आदेशार्थ पेश किया के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना :

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:30:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

1. बैयनामा जिसके अनुसार जसवन्त सिंह पुत्र श्री लाभ सिंह, चक 2 पीएस तहसील पदमपुर के मुरब्बा नम्बर 46 का नामान्तरकरण किया गया है, उस बैयनामा की आधार की प्रमाणित प्रति व लिखित सूचना।
2. बैयनामा की प्रमाणित प्रति जिसके आधार पर सरदार लाभ सिह पुत्र श्री भगवान सिंह चक 2 पीएस तहसील पदमपुर के मुरब्बा नम्बर 46 के नाम पर बैयनामा के अनुसार नामान्तरकरण किया गया तथा की लिखित सूचना।
3. नामानतरकरण करने वाले पटवारी तथा अधिकारी का नाम, पद नाम व सर्विस रिकार्ड अनुसार स्थाई व वर्तमान पदस्थापन का पता की प्रमाणित प्रति/सूचना।

तहसीलदार (भू.अ.), पदमपुर ने अपने पत्रांक भू.अ./2021/1683 दिनांक 03.05.2021 से प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा चाही गई सूचना निम्नलिखित है:

1. बैयनामा जिसके अनुसार जसवन्त सिंह पुत्र लाभ सिंह चक 2 पीएस मु.न. 46 का नामान्तरण संख्या 193 की चित्रप्रति संलग्न है, नामान्तरण की प्रमाणित प्रति नियमानुसार फीस जमा करवाकर पटवारी हल्का 1 पीएस से प्राप्त कर सकते हैं। बैयनामा दिनांक 01.06.1966 व 29.04.1966 की प्रमाणित प्रति कार्यालय उप पंजीयन, श्रीगंगानगर में जमा है। वहां से प्रमाणित प्रति प्राप्त करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:30:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

2. लाभ सिंह पुत्र भगवान सिंह के नाम बैयनामा चक 2 पीएस मु.नं. 46 नामन्तरण संख्या 194 की चित्रप्रति संलग्न है। नामान्तरण की प्रमाणित प्रति नियमानुसार फीस जमा करवाकर पटवारी हल्का 1 पीएस से प्राप्त कर सकते है व बैयनामा दिनांक 01.06.1966, 29.04. 1969 की प्रमाणित प्रति कार्यालय उप पंजीयन श्रीगंगानगर में जमा है, वहां से प्राप्त करें।
3. नामान्तरण करने वाले तत्कालीन पटवारी श्री बृजलाल शर्मा वर्तमान में भू.अ.नि. वृत रत्तेवाला में कार्यरत है। अधिकारी तत्कालीन नायब तहसीलदार सावन कुमार चायल का सर्विस रिर्काड तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

-sd-
तहसीलदार (भू.अ.)
पदमपुर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का जवाब तहसीलदार (राजस्व), पमदपुर द्वारा दिनांक 03.05.2021 को दिया जा चुका है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना व[illegible] अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। [illegible] पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं **कार्यालय के कार्य सम[illegible] को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के [illegible]प में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।** लोक सूचना

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:30:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए तहसीलदार (भू.अ.), पदमपुर ने अपीलार्थी को जो उत्तर दिया है, वह सही है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। अपीलार्थी बिन्दु संख्या 01 व 02 की सूचना तहसीलदार (भू.अ.), पदमपुर द्वारा पत्र दिनांक 08.05.2021 में दिये गये निर्देशानुसार प्रतिलिपि हेतु निर्धारित राशि राजकोष में जमा कर प्राप्त कर सकता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **तहसीलदार(भू.अ.), पदमपुर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:30:13 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 22.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर